and now even postage stamps to be affixed on them cannot be had at the Post Offices. Only stamps of Rs. 2/- and above are available.

This is causing no small amount of inconvenience to the public and also hampering business transactions as Banks are refusing to accept outstation cheques as they are unwilling to pay Rs. 4/- for a registered letter instead of Rs. 2.65 because of the non-availability of stamps of lower denominations

The situation in Agra is further complicated and aggravated by the fact that Banks have, in the last two or three months, been refusing to accept notes of lower denominations than Rs 100/- or Rs. 50/- in payment or by way of deposits Non-acceptance of legal tender is an offence. Even so, nobody seems to be bothered about it. This matter was raised in Parliament during the last Session, but still there is no relief. Only vague assurances were given, which remain to be implemented.

These blockages in the free flow of communications and business dealings have very adversely affected both trade and industry, and therefore, I call for immediate remedial action.

(ii) FAMINE CONDITIONS IN MAHARASHTRA DUE TO DELAY IN MONSOONS.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड) : सदर साहब, मैं नियम 377 के द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला आपकी अनुमति से यहां पेश कर रहा हूं । आज देश में और महाराष्ट्र में अनावृष्टि के संकट से देहाती क्षेत्र में अकाल (फेमिन) की परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है । लोगों और जानवरों को पीने के पानी की किल्लत की वजह से मौत का सामना करना पड रहा है । भखमरी की नौबत आ गई है। बोया हुआ बीज मर चुका है । घास की कमी से जानवर मरने के रास्ते पर है । बेकारी और महंगाई के संकट से गरीबों को इस अनावृष्टि के कारण जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है । लोग अपने घरों से भाग रहे हैं । मानसून की देरी से देहाती किसान मजदूरों पर स्काइलेब की कयामत बरस रही है । इनकी फौरन मदद करना शासन की जिम्मेदारी है । मगर शासन शान्त और मौनीबाबा बन कर निश्चिन्त बना हुआ है । जनता में बहुत असन्तोष बना हुआ है । मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस संकट से जनता को बचाने के लिए फौरन सहायता कार्य शुरू करें । जय भारति ।

12.45 hrs.

LOKPAL BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: Now we come to Legislative Business.

The House will now take up further consideration of the Lokpal Bill, 1977, as reported by the Joint Committee.

Out of the tweleve hours allotted by the House itself, for all the stages of the Bill, one hour and twenty-five minutes have already been taken up. If the House agrees, we may have seven hours, including one hour and twenty-five minutes which have already been taken up, for general discussion, four hours for clause-by-clause consideration and one hour for the third reading. I hope this is acceptable to the House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, in the last Session we had taken a decision to have a debate on the racist British Government . . .

MR. SPEAKER: Mr. Bosu, is there no method for it? We are now on legislative work.

Mr. Durga Chand was speaking; he may continue.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, I want to submit that this is a very important Bill that we are going to discuss but, unfortunately, there is no quorum in the House. When such an important Bill is being discussed, at least the Minister for Parliamentary Affairs should see to it that there is quorum. This is a most important Bill and it has been pending for such a long period.

MR SPEAKER: The bell is being rung.

Now there is quorum. Mr. Durga Chand to speak The hon. Members may not go away Otherwise, I may have to ask for the Quorum Bell to be rung again.

Mr Durga Chand.

श्री दुर्गा चन्द (कांगड़ा) इस बिल को ए आर सी की सिफारिशों के आधार पर 1968 में लोक सभा में पेश किया गया था। आज 1979 में हम इसे पास करने जा रहे हैं। बीच में यह बिल लेप्स होता चला गया। फिर इन्ट्रोड्यूस हुआ। यह कांग्रेस रेजीम में तो पास नहीं हो सका लेकिन अब यह श्रेय जनता पार्टी को जाएगा कि वह इस को बड़े बहस मुबाहिसे के बाद पास करने जा रही है।

हायर पोलिटिकल लेवेल पर जो करप्शन है उसको हम को दूर करने की तरफ ध्यान देना होगा और यह बिल उस में हमारी मदद कर सकता है। आज हमारे लोकतंत्र को सब से ज्यादा खतरा इस वास्ते पैदा होता है कि हायर पोलिटिकल लेवेल पर जब कुरप्ट के चार्जिज लगाए जाते हैं तो उनकी जांच ठीक प्रकार से नहीं होती है इस देश के वर्तमान एडमिनिस्टेटिव ढांचे के चलने और तब उस सूरत में जनता का लोकतंत्र पर जो एतमाद है वह सारे का सारा हिल जाता है। इस बिल को पास करने के बाद हमारे देश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिस में हायर पोलिटिकल लेवेल पर जो लोग बैठे हुए हैं चाहे विधान सभाओं में और चाहे लोक सभा में उन पर एक चैक सा लग जाएगा, एक रुकावट सी लग जाएगी और वे इस तरीके से करप्शन नहीं कर सकेंगे जिससे लोकतन्त्र की बुनियादें हिल सी जाएं। यह हमारे देश की जो परम्परायें, ट्रेडीशन्ज और हैरिटेज थी उनके एन मुताबिक है और आथोरिटी पर चैक और बैलेंस जो रखा जाता है उसके मुताबिक इस बिल में भी चैक और बैलेंस रखने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, इस बिल के सैक्शन 4 में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मेरी राय में लोकपाल की नियुक्ति के मुताल्लिक जिस तरीके से ढांचा बनाया गया है वह दुरस्त है और लोकपाल की नियक्ति जिस तरीके से होनी चाहिये, वह होगी। सैक्शन 7 में लोकपाल को कैसे रिमूव किया जा सकता है इसका प्रावधान किया गया है। सैक्शन 8 में स्पेशल लोकपाल मुकर्रर किये जा सकते हैं। अगर लोकपाल के पास इतना ज्यादा काम हो जाता है कि कम्प्लेन्टस को टाइम के अन्दर डिसपोज आप नहीं कर सकता तो स्पेशल लोकपाल मुकर्रर करने का प्रोवीजन रखा गया है।

सैक्शन 17(1) में कहा गया है कि जो कमप्लेंट्स करने वाले लोग हैं उनकी शिकायतें फिवलस नहीं होनी चाहियें। अगर कोई आदमी ऐसे ही कमप्लेंट करता है तो उसे कोई सब्सटेंस नहीं होगा और वह झूठी पायी जायेगी जो शिकायत करने वाले को सजा भी दी जा सकती है और उसको एक साल की सजा और 3,000 रु० तक जुर्माना किया जा सकता है, या उसकी जो सेक्योरिटी डिपाजिट होगी उसको फोरफीट किया जा सकता है। मेरी राय में यह जरूरी था, वरना पोलिटिकल लेवेल पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर वेग चार्जेज लग सकते हैं, उसको कन्ट्रोल करना जरूरी था। कमप्लेंट्स में कोई सब्सटेंस होना चाहिये, प्राइमाफेशी केस होना चाहिये ताकि लोकपाल आगे प्रोसीड कर सकें। सैक्शन 22(1) में झूठी शहादत देने वाले लोगों को भी सजा दी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि करप्शन का इरेडीकेट करने में यह बिल सफल होगा और हमारे लोकतंत्रीय इतिहास में एक नई मिसाल कायम होगी कि बड़ी से बड़ी अथौरिटी पर बैठे हुये लोग भी गलत काम न कर सकें। चाहे प्रधान मंत्री हो, या स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हों, या मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या विधान सभा या लोक सभा के सदस्य हों, उन सब के लिये प्रामीजर रखा गया है। लोक सभा के सदस्य के बारे में अगर कोई शिकायत हो तो सीधे तौर पर वह लोकपाल के पास नहीं जायेगी। पहले उसकी अध्यक्ष महोदय देखेंगे और अगर उसमें कुछ सब्सटेंस है तो वह उसको आगे रेफर कर सकते हैं। आज तक हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा यह रहा है कि अथौरिटी पर बैठे हुये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके खिलाफ बड़े बड़े चार्जेज लगते हैं और हमारी कौम में जो काफीडेंस होना चाहिये कि लोकतन्त्र में लोगों को न्याय मिलता है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अब इससे जनता में विश्वास पैदा होगा कि चाहे प्रधान मंत्री हो या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह अपनी सीमा से बाहर जाकर अथौरिटेरियन तरीके से काम नहीं कर पायेंगे। अभी तक ऐसी आम शिकायतें आती रही हैं जिससे हमारे लोकतंत्र को खतरा हुआ है। आज 30 साल का अर्सा हो गया लेकिन लोगों में लोकतंत्र के मुताल्लिक विश्वास पैदा नहीं होता, उसका कारण था कि जो हमारे लोकतंत्र को चलाने वाले लोग होते थे, हमारी कार्यपालिका जो होती थी उस पर कोई चैक नहीं था आज तक, और वह आबिट्रेरी तरीके से चलना शुरू कर देते थे, जैसा कि पीछे हुआ है। इस देश में अगर लोकपाल की नियुक्ति हुई होती तो यहां एमर्जेंसी लगाने का मौका नहीं आता। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पहले से ही चैक होता कि आप गलती पर चल रही हैं, आपका कंडक्ट लोकतन्त्र के मुताबिक नहीं है, आप ऐसे हालात पैदा न होने दें। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को ठीक फंक्शन करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति और इस बिल का पास किया जाना निहायत जरूरी है ताकि हमारा लोकतन्त्र फले और फूले। हमारी जनता पार्टी द्वारा, मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ा विधायी कार्य होगा जिसकी वजह से लोकतन्त्र में साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देने का मौका मिलेगा।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the Lokpal Bill that has

been introduced by the Government. The Lokpal Bill has stated in the Objectives and Reasons that this is for rooting out the corruption from the body-politic in this country.

Since independence and even before, the charges of corruption as also the functioning of the politicians as well as civilians had been drawing the attention of the public The public were anxious that effective steps had to be taken to root out corruption so that the majority of the politicians as well as the civil servants as also the image of the administration create confidence among the people. Some time ago, a seasoned congressman and also a good administrator, Shri Santanam, had given a report with regard to the effective steps that had to be taken by Government to root out the corruption. Several reports were also there which were engaging the attention of Governas well as the people.

Now, the present Janata Government has brought in this Lokpal Bill after it had been discussed and deliberated in the Joint Select Committee. So far as it goes, the intention of the Bill is laudable. But, the provisions in the Bill are so mutilated and distorted as to give the impression in the country that the people who are really responsible or who are at the bottom of all these malpractices in the society and in the Government have been left out and such of those people—the public men, legislators and Members of Parliament—who want to do real service to the people by being a sort of a liaison between the Government and the people to take the grievances for the attention of the Government are now being penalised or the simple crime that they have committed namely that they wanted the corruption to be rooted out. But by some manipulation, by some jugglery—I do not know what has happened—the bureaucracy has again succeeded in getting itself excluded from the purview of this Bill.

Sir, there had been notes of dissent in the Joint Select Committee report also. Many cogent arguments have been put forward stressing the necessity of bringing in the civil servants in the bureaucracy under the purview of this Bill. But, somehow or other, by the majority report of the Joint Select Committee, the members belonging to the Janata Party were able to sidetrack the issue in excluding the civil servants in the bureaucracy from the purview of this Bill.

Sir, a Member of Parliament or a Legislator who has no executive authority has to tour his constituency, receive complaints and grievances. There the administration has completely failed to implement the policies and programmes of the Government to expedite the redressal of grievances. There are several instances where the file does not move unless it has greased the secretariat. So, the administration adopts a sort of a dog in the manger policy and it does not allow the speedy redressal of the grievances.

MR. SPEAKER: You will continue your speech after the Prime Minister finishes his statement after the lunch recess. The House stands adjourned till 2 p.m.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER: Now, the hon. Prime Minister.

STATEMENT *RE.* PRIME MINISTER'S RECENT VISIT TO USSR AND EAST EUROPEAN COUNTRIES

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Sir, I visited the Soviet Union Poland, Czechoslovakia